महात्मा गांधी नरेगा अति—आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्र. एफ 21(65)ग्रावि / नरेगा / 2014 जयपुर, दिनांक : 18 JUL 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत समयबद्ध श्रम भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में।**
प्रसंगः ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक 12.06.2014 एवं 10.07.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार पखवाडा समाप्ति के पश्चात अकुशल श्रमिको को 15 दिवस के भीतर भुगतान किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.07.2014 के अनुसार दिनांक 01.09.2014 से अकुशल श्रम के भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में श्रम भुगतान के साथ साथ विलम्ब की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान श्रमिक को करना होगा, तदुपरान्त क्षतिपूर्ति राशि की वसूली दोषी कार्मिक से की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश भी जारी किये है, जिसकी प्रति **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है। अतः प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अकुशल श्रम के समय पर भुगतान हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

1. **पखवाडा समाप्ति उपरान्त मस्टररोल भुगतान हेतु तय समय सीमा में संबंधित कार्मिक द्वारा कार्य करना (Muster Roll Tracking System for time bound unskilled labour payment) :–**

1.1 मस्टररोल पूर्ण होने से लेकर एफटीओ जनरेट करने तक विभिन्न स्तरों पर कार्मिको द्वारा निम्नानुसार समय लिया जावेगाः–

क.सं.	कार्य चरण	निर्धारित (अधिकतम) दिवस	उत्तरदायी कार्मिक
1	मेट से ग्राम रोजगार सहायक / ग्राम सचिव / कार्यकारी संस्था द्वारा मस्टररोल प्राप्त करना	पखवाड़ा समाप्ति का ठीक अगले दिन	ग्राम सचिव / ग्राम रोजगार सहायक / कार्यकारी संस्था का कार्मिक
2	सचिव / रोजगार सहायक द्वारा JTA/JEN को माप हेतु मस्टररोल देना	पखवाड़ा समाप्ति के दो दिन में	ग्राम सचिव / ग्राम रोजगार सहायक कार्यकारी संस्था का कार्मिक
3	JTA/JEN द्वारा माप पुस्तिका में इन्द्राज के पश्चात पंचायत समिति को लौटाना	पखवाड़ा समाप्ति के 6 दिन में	JTA/JEN / कार्यकारी संस्था का अभियंता

4	पचायत समिति में मस्टररोल फीडिंग एवं वेजलिस्ट जारी कराकर ग्राम पंचायत/ कार्यकारी संस्था को पासआर्डर लगाने के लिए देना	पखवाड़ा समाप्ति के 9 दिन में	एमआईएस मैनेजर/लेखा सहायक, पंचायत समिति
5	कार्यकारी संस्था/पंचायत द्वारा मस्टररोल पर पासआर्डर लगाकर मस्टररोल पंचायत समिति को प्रेषित करना	पखवाड़ा समाप्ति के 11 दिन में	ग्राम सचिव/ग्राम रोजगार सहायक / कार्यकारी संस्था का कार्मिक
6	पंचायत समिति द्वारा कम्प्यूटर जनरेटेड वेज लिस्ट से एफटीओ जारी कराना।	पखवाड़ा समाप्ति के 12 दिन में	एमआईएस मैनेजर/डीईओ पंचायत समिति
7	एफटीओं पर सहायक लेखाधिकारी/ लेखाकार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करना।	पखवाड़ा समाप्ति के 14 दिन में	सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार
8	एफटीओ पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर वित्तीय संस्थान/बैंक को श्रमिक के खाते में भुगतान हेतु ऑन लाईन भिजवाना।	पखवाड़ा समाप्ति के 15 दिन में	विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी

1.2 उपरोक्तानुसार मस्टररोल ट्रेकिंग की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराऐं। विभिन्न स्तरों पर होने वाले विलम्ब की गणना नरेगा सॉफ्ट द्वारा स्वतः ही की जाकर विलम्ब की क्षतिपूर्ति राशि तथा **विलम्ब के लिए उत्तरदायी कार्मिक का निर्धारण** किया जावेगा।

1.3 सभी अधीनस्थ कार्मिको को मस्टररोल की ट्रेकिंग अवधि की विधिवत सूचना दी जाए एवं उन्हे **लिखित** में यह सूचित किया जावे कि अकुशल श्रमिको को विलम्ब से भुगतान की स्थिति में देय क्षतिपूर्ति राशि दोषी कार्मिको से वसूल की जाएगी।

1.4 यदि किसी मस्टररोल पर कोई श्रमिक नियोजित नही किया जाता है तो उक्त मस्टररोल को 3 दिवस पश्चात पंचायत समिति कार्यालय में जमा करा दिया जाना चाहिए, ताकि एमआईएस में शून्य उपस्थिति की सूचना अपलोड की जाकर उक्त मस्टररोल बकाया मस्टररोल की संख्या से कम हो सके।

1.5 निर्धारित अवधि में मस्टररोल फीड कर वेजलिस्ट जनरेट की जाऐं। तदुपरान्त एफटीओं जनरेट किया जाये एवं प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय पर इसकी जांच की जावे। इस कार्यवाही तक एमआईएस पर फण्ड उपलब्धता संबंधी कोई चेक नही है। **अतः एफटीओं जनरेट करने की कार्यवाही निर्धारित समय पर सुनिश्चित करवायें।**

2. <u>विलम्बित भुगतान हेतु देय क्षतिपूर्ति (Compensation for delayed payment):</u>

2.1 अकुशल श्रमिको को विलम्ब से भुगतान की स्थिति में श्रमिको को देय क्षतिपूर्ति राशि की गणना प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से की जावेगी।

2.2 निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में विलम्ब से भुगतान के लिए कार्मिक की जिम्मेवारी नही मानी जाएगी :–

i. यदि भुगतान अथोरिटी स्तर पर निधि (Funds) की उपलब्धता नही हो।

ii. अकुशल श्रम का समय पर भुगतान कर दिया गया है लेकिन एमआईएस पर सूचना प्रदर्शित नही हो पा रही है।

iii. प्राकृतिक आपदा की स्थिति में।

3. <u>उपलब्ध स्टाफ का कुशल नियोजन (Efficient Staff Deployment):–</u>

3.1 समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला स्तर पर तथा कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति स्तर पर नियोजित स्टाफ को कार्य की आवश्यकता के अनुसार कुशलता से नियोजित किया जाए एवं उन्हें तय समयसीमा से भी अवगत कराया जाए।

4. <u>इंटरनेट कनेक्टीविटी की उपलब्धता (Availability of Internet connectivity) :–</u>

4.1 वेज लिस्ट/एफटीओ जनरेट करने के लिए ब्लॉक स्तर पर इंटरनेट कनेक्टीविटी की समस्या हो तो समीप के ब्लॉक पर अथवा जिले पर वेजलिस्ट/एफटीओं जनरेट कराने की कार्यवाही कराई जाए।

5. <u>जिलेवार बकाया मस्टररोल एवं वेजलिस्ट की स्थिति (District wise pending Muster rolls and Wage lists) :–</u>

5.1 वर्तमान में अकुशल श्रम के भुगतान में जिलेवार विलम्ब की स्थिति **परिशिष्ट–2** पर संलग्न की जा रही है। **जिला अजमेर, बांसवाडा, भरतपुर, भीलवाडा, बून्दी, डूंगरपुर, जोधपुर, करौली, नागौर, सवाई माधोपुर आदि जिलों में विलम्ब की स्थिति अत्यधिक गम्भीर है।** अतः भविष्य में अकुशल श्रम के समय पर भुगतान हेतु हर संभव प्रयास किए जाए।

5.2 अकुशल श्रमिकों से संबंधित बकाया मस्टररोल की संख्या एवं बकाया वेज लिस्ट से संबंधित विवरण **परिशिष्ट–3** पर प्रदशित हैं, जिसके अनुसार **51489** मस्टररोल ऐसे है, जो कि नियत तिथि (Due date) के बाद भी एमआईएस पर फीड नहीं किये गये है।

5.3 **परिशिष्ट–3** के अनुसार 28776 मस्टररोल ऐसे है जिनकी देय तिथि के बाद भी वेजलिस्ट जारी नही की गई है। **जिला अजमेर, बांसवाडा, बाडमेर, भीलवाडा, धौलपुर, जोधपुर, प्रतापगढ आदि जिलों में विलम्ब की स्थिति अधिक पाई गई है।** जिला स्तर पर प्रतिदिन उक्त सूचना एमआईएस से प्राप्त कर उसकी गम्भीरता से समीक्षा की जावे तथा **परिशिष्ट–3** के रूप में संलग्न रिपोर्ट के कॉलम संख्या 11 एवं 14 में प्रदर्शित मस्टररोल की संख्या को शून्य किया जाए।

6. <u>अकुशल श्रम के समय पर भुगतान हेतु कार्य योजना **(Action Plan for timely payment of unskilled labour)** :–</u>

6.1 विलम्ब से भुगतान के बकाया प्रकरणों हेतु **15 जुलाई से 31 अगस्त 2014 तक विशेष अभियान संचालित** किया जाना हैं। अतः इसकी जिला एवं ब्लॉक स्तर पर ठोस कार्य योजना बनायी जाए।

6.2 सभी जिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाऐ कि **30 जून 2014 तक पूर्ण हुये मस्टररोल के एफटीओं 31 जूलाई, 2014 तक जनरेट कर दिये जाऐ, 15 जूलाई 2014 तक पूर्ण हुए मस्टररोल के एफटीओ 15 अगस्त 2014 तक तथा 15 अगस्त 2014 तक के पूर्ण मस्टररोल के एफटीओ 31 अगस्त, 2014 तक जनरेट कर दिये जाऐ।**

6.3 ईएफएमएस खाते के माध्यम से किये जा रहे भुगतान में रिजेक्ट होने वाले लेन–देनों में समस्याओं का शीघ्र समाधान कराकर पुनः एफटीओं अविलम्ब जारी कराया जावे।

7. <u>एमआईएस के माध्यम से निगरानी व धारा–25 के अन्तर्गत शास्ति की कार्यवाही **(Monitoring through MIS and Imposition of Penalty)**:–</u>

7.1 जिला एमआईएस मैनेजर एवं ब्लॉक एमआईएस मैनेजर का यह उत्तरदायित्व होगा कि एमआईएस पर **प्रदर्शित Report on E-Mustroll and Wagelist generated for financial year 2014-15** का एमआईएस से प्रिन्ट प्राप्त कर उसे अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जाये।

7.2 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक उपरोक्त रिपोर्ट के द्वारा ऐसे ब्लॉक्स को चिन्हित करेगा जहां पर मस्टररोल की सर्वाधिक बकाया कॉलम संख्या 11 एवं 14 में प्रदर्शित हो रही हैं तथा ऐसे ब्लॉक्स को नोटिस जारी किया जाकर आगामी कार्य दिवस तक बकाया मस्टररोल के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7.3 विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि ऐसे मस्टररोल जो कि दिनांक 30 जून 2014 तक पूर्ण हो चुके है, लेकिन लेकिन एमआईएस पर प्रदर्शित **Report on E-Mustroll and Wagelist generated for financial year 2014-15** में दिनांक 31.07.2014 में बकाया प्रदर्शित हो रहे है, उसके लिए दोषी कार्मिकों को चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट निम्न प्रारूप में दिनांक 10.08.2014 तक अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी तथा इसकी एक प्रति जरिये ई–मेल **caoegs@gmail.com** पर प्रेषित की जायेगीः–

क्र. सं.	मस्टररोल क्रमांक	मस्टररोल की अवधि	विलम्ब के लिए उत्तरदायी कार्मिक

7.4 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सभी पंचायत समितियों से उक्त रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समेकित सूचना पंचायत समितिवार तैयार कर दिनांक 14.08.2014 तक जरिये ई–मेल **caoegs@gmail.com** पर प्रेषित की जायेगी।

7.5 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ऐसे कार्मिकों को संक्षिप्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा तथा दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा–25 के अन्तर्गत शास्ती की कार्यवाही दिनांक 31.08.2014 तक पूर्ण की जायेगी।

8. **<u>क्षतिपूर्ति भुगतान की अनिवार्यता 01.09.2014 से (Commencement of delay compensation) :</u>**

8.1 भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में **दिनांक 01.09.2014 से नरेगा सॉफ्ट में नये एफटीओं पर द्वितीय हस्ताक्षर** (कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी) की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि पुराने प्रकरणों में विलम्ब से भुगतान हेतु देय क्षतिपूर्ति के बारे में कोई निर्णय नहीं कर दिया जाता हैं।

अतः सभी जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी बकाया मस्टररोल के बाबत विशेष अभियान संचालित कर सघन कार्यवाही एवं मॉनिटरिंग कर यह प्रयास करेंगे कि पूर्ण हुये मस्टररोल बिन्दु संख्या 6 में वर्णित कार्य योजना के अनुसार एमआईएस पर फीड होकर उनके एफटीओं नियत तिथि तक जारी हो सके तथा किसी कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़े एवं अकुशल श्रम में होने वाले विलम्बित भुगतान की स्थिति उत्पन्न न हों।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(श्रीमत् पाण्डेय) 15/7
प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
5. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस।
6. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
7. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
9. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
10. विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

आयुक्त, ईजीएस

No. J-11011/05/2014-RE-I (FTS-36629)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi-110114
Dated 11th June, 2014

To

The Principal Secretary/Secretary,
(In-charge MGNREGA),
All States/UTs.

Sub: Guidelines on compensation for delayed wages payments-reg.

Sir/Madam,

Para 29 of the Revised Schedule II of MGNREGA, 2005 vide Notification No. S.O. 19(E) dated 3rd January, 2014 has laid down a detailed procedure for establishing a delay compensation system. As per the system, MGNREGA workers are entitled to receive delay compensation at a rate of 0.05% of the unpaid wages per day for the duration of the delay beyond the sixteenth day of the closure of the Muster Roll.

2. As per provisions under Para 29 of the Revised Schedule II, MGNREGA, 2005 draft guidelines on the delay compensation system were formulated and circulated to all States/UTs seeking comments vide letter No. FTS 17134/14-MGNREGA dated 22nd May, 2014. The same was also placed before Performance Review Committee (PRC) for detailed discussion in its meeting held on 5th June, 2014 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

3. Accordingly, the Guidelines on the delay compensation system have been finalized and forwarded herewith with a request to take appropriate action for immediate compliance.

Yours faithfully,

(R. Subrahmanyam)
Joint Secretary (MGNREGA)
Tele. No. 23385027

Encl.: As above

GUIDELINES FOR COMPENSATION FOR DELAYED WAGE PAYMENTS

1. Payment of wages

The Section 3 of the MGNREG Act 2005 laid down that wages shall be paid to the MGNREGA workers within 15 days from the date of closure of the Muster Roll (MR). The Schedule of the Act provides that the wages are to be paid to the workers through their savings accounts in the relevant banks or post offices, unless any relaxation is granted by the Ministry of Rural Development.

2. Compensation due to delay in payment of wages

Para 29, Schedule II of MGNREGA 2005 has laid down a detailed procedure for establishing a delay compensation system. As per the system, MGNREGA workers are entitled to receive delay compensation at a rate of 0.05% of the unpaid wages per day for the duration of the delay beyond the sixteenth day of the closure of the MR.

3. Calculation of compensation

3.1 The Programme Management Information System – NREGASoft has a provision to automatically calculate the compensation payable to the MGNREGA workers based on the date of closure of the MR and the date of generation of the pay order for paying wages. The details of compensation payable in each case are displayed on www.nrega.nic.in automatically updated daily.

3.2 The delay wage payment logic of NREGASoft examines the following in order to arrive at the compensation payable to MGNREGA workers:

(a) date of payment of wages
(b) date of closure of MR
(c) the duration of such delay
(d) total wage payable
(e) rate of compensation (i.e. 0.05%)

4. Prompt Verification of the delay compensation

4.1 Every Programme Officer (PO) shall, within 15 days from the date of the delay compensation became due, decide whether the compensation that has been automatically calculated by the NREGASoft is payable or not. The POs will ensure that compensation claims are settled during this time and such claims will not be allowed to be accumulated without decision. The DPC will monitor this regularly.

4.2 For the above purpose, compensation payable shall be decided by the PO except in case of the following circumstances:

(a) Funds are not available at the paying authority level.
(b) Compensation not due: (wages have been paid in time, but details not entered in MIS).
(c) Natural calamities